ekuuh; v/;{k egkn;]

इक्कीसवीं सदी के उदय के साथ ही छत्तीसगढ़वासियों ने एक सपना देखा था। वह सपना था अपनी छत्तीसगढ़ी अस्मिता की पुनर्स्थापना का, वह जुनून था अपनी पहचान को नये सिरे से पूरे देश को बताने का। हम सबके मन में उत्साह था, और हमें पूरी उम्मीद थी कि आने वाला कल हमारा होगा।

1.1 एक दशक पहले छत्तीसगढ़ की जनता ने यह सपना पूरा करने का दायित्व हमें सौंपा था। इन दस वर्षों में हमने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं, उसमें हमें लगातार सफलता मिली। मानव शक्ति, विशेषकर युवा एवं नारी शक्ति, का विकास हमारे प्राथमिकता क्रम में सर्वोपरि रहे हैं। विगत 5 वर्षों में हमने सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए सर्वाधिक संसाधन आवंटित किए। इससे कुपोषण, शिशु तथा मातृ मृत्यु दर कम करने, बालिका शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मानव विकास सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने हेतु हमने अपने संसाधनों का कुशलता से उपयोग करने के प्रयास किए। यह जानकर संतोष हो रहा है कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक जैसी प्रतिष्ठित संस्था ने सराहा है।

1.2 प्रदेश की जनता ने लगातार तीसरी बार भी हम पर विश्वास दर्शाया है। इस जनादेश से जुड़ी आकांक्षाओं और चुनौतियों का भी हमें एहसास है। हमें अपने उन संकल्पों का भी स्मरण है जो हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए हैं। इन्हें क्रमशः पूरा करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। मुझे खुशी है कि इनमें से अधिकांश संकल्पों को पूरा करने के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं।

1.3 मैं उन अवधारणाओं को सदन के समक्ष रेखांकित करना चाहता हूँ, जिन्हें केन्द्र में रखकर बजट की प्राथमिकतायें निर्धारित की गई है। ये प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं –

- समृद्ध किसान
- भूख, कुपोषण से मुक्ति
- स्वस्थ एवं शिक्षित छत्तीसगढ़
- व्यक्ति में शक्ति
- सशक्त नारी
- सर्वहारा के प्रति संवेदना एवं
- एकीकृत तथा समावेशी विकास

vkfFkd fLFkfr

2. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति का विवरण पेश करना चाहूंगा।

2.1 मैंने कल विधान सभा के पटल पर वर्ष 2013–14 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। वर्ष 2004–05 के स्थिर मूल्य पर **o"k 2013&14 d fy,** अग्रिम अनुमान अनुसार **jkT; dh vkfFkd fodkl nj e 7-05 ifr'kr dh of) vuqekfur g] tcfd blh vof/k e n'k dh vkfFkd fodkl nj e 5 ifr'kr l Hkh de of) lHkkfor gA df"k {k= e 2-62] vk|kfxd {k= e 6-07 ,o lok {k= e 10-18 ifr'kr of) vuqekfur gA vkfFkd enh d ckotn jkT; d ldy ?kjyw mRikn e ;g of) mYy[kuh; gA**

2.2 **o"kZ 2004&05 ds fLFkj ewY; ij o"kZ 2012&13 ds fy, la'kksf/kr vuqeku vuqlkj jkT; ds ldy ?kjsyw mRikn esa 7-56 izfr'kr o`f) vuqekfur gSA** देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 4.47 प्रतिशत की तुलना में यह 69 प्रतिशत अधिक है। **blh vof/k esa jkT; dh d`f"k fodkl nj] ns'k dh rqyuk esa 6 xquk rFkk vkS|ksfxd fodkl nj 5 xquk gSA**

2.3 **izpfyr ewY; ij jkT; dk ldy ?kjsyw mRikn o"kZ 2012&13 ds 1]53]621 djksM+ #i, dh rqyuk esa o"kZ 2013&14 ds fy, 1]75]961 djksM+ #i, gksuk vuqekfur gSA jkT; ds ldy ?kjsyw mRikn esa d`f"k {ks= dk ;ksxnku 21 izfr'kr] vkS|ksfxd {ks= dk ;ksxnku 37 izfr'kr rFkk lsok {ks= dk ;ksxnku 42 izfr'kr gSA**

2.4 **o"kZ 2013&14 esa izpfyr ewY; ij izfr O;fDr vk; 56]990 #i, gksus dk vuqeku gS] tks fd o"kZ 2012&13 dh 50]691 #i, dh rqyuk esa 12-43 izfr'kr vf/kd gSA**

Hkkx&,d

d`f"k

3. **gekjh ekU;rk gS fd fdlkuksa dh le`f)] leqxz d`f"k fodkl dk eq[; vk/kkj gSA** विगत 10 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा कृषि लागत को कम करने तथा कृषि कार्य को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनमें समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन, कृषि उत्पाद पर बोनस, रियायती ब्याज दर पर कृषि ऋण एवं सिंचाई हेतु निःशुल्क बिजली प्रमुख हैं। इसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। वर्ष 2010–11 में धान उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को ''कृषि कर्मण पुरस्कार'' प्रदान किया गया था। **eq>s lnu dks ;g lwfpr djus esa [kq'kh gS fd ,d o"kZ ds vUrjky ds ckn o"kZ 2012&13 esa fjdkMZ 110 yk[k ehfVªd Vu**

/kku mRiknu ds fy, jkT; dks nwljh ckj **d`f"k deZ.k iqjLdkj ls lEekfur fd;k x;k gSA**

3.1 कृषि विकास को विशेष महत्व देते हुए हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में पहली बार पृथक से ''कृषि बजट'' प्रस्तुत किया गया था। **blh Øe esa o"kZ 2014&15 esa d`f"k rFkk d`f"k ls lEc) {ks=ksa ds fy, 8]495 djksM+ #i;s dk ctV izko/kku fd;k x;k gSA** इसमें कृषि एवं उद्यानिकी के लिए 4,102 करोड़, पशुपालन के लिए 422 करोड़, सहकारिता के लिए 228 करोड़, सिंचाई क्षमता वृद्धि के लिए 1,987 करोड़, समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में हानि एवं व्यय की पूर्ति के लिए 400 करोड़ तथा कृषि पंपों के ऊर्जीकरण एवं पंपों के लिए निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 458 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

3.2 अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र में हमने आगामी 5 वर्ष तक धान पर 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की बात कही थी। **e>s lnu dks lwfpr djrs gq, g"kZ gS fd blh izdkj djrs gq, [kjhQ 2013 esa mikftZr /kku ij fdlkuksa dks 300 #i, izfr fDoaVy dh nj ls izksRlkgu jkf'k iznku dh tk,xhA bl grq ctV esa 2]400 djksM+ dk izko/kku gSA o"kZ 2013&14 esa fdlkuksa dks /kku mikktZu ds fy, leFkZu ewY; ds :i esa yxHkx 13]000 djksM+ forfjr fd;k tk,xkA**

3.3 **gekjs ?kks"k.kk i= esa fd, x, oknsa vuq:i vkxkeh foRrh; o"kZ ls d`"kdksa dks **C;kteqDr** vYidkyhu d`f"k _.k miyC/k djk;k tk,xkA** यह सुविधा सहकारी तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित होने वाले ऋण पर एक समान लागू होगी तथा कमर्शियल बैंक द्वारा वितरित ऋण पर ब्याज दर 3 प्रतिशत होगी। इस हेतु बैंकों को देय ब्याज अनुदान बाबत् 140 करोड़ का प्रावधान है। इससे प्रदेश के लगभग 12 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।

3.4 प्रदेश की लगभग एक तिहाई आबादी अनुसूचित जनजाति की है, जो कि दुर्गम वनांचल में निवास करते हैं। **bls nf"Vxr j[krs gq, bu vapyksa esa ijEijkxr :i ls mxkbZ tk jgh dksnks] dqVdh rFkk jkxh Qlyksa ds**

{k= foLrkj vkj ikRlkgu gr igyh ckj cht vuqnku ;ktuk ykxw dh tk,xhA इसके साथ–साथ फसल चक्र परिवर्तन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गेहूँ बीज पर भी अनुदान दिया जाएगा।

3.5 घोषणा पत्र में ''किसान सुविधा केन्द्र'' की स्थापना का उल्लेख है। प्रचलित योजनांतर्गत प्रदेश में अभी तक 223 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। **bldk foLrkj djr gq, vkxkeh o"kZ esa 40 vfrfjDr **d`f"k lsok dsUnz** dh LFkkiuk dh tk,xh] ftlds fy, d`f"k mi;ksx;ksa dk vuqnku gsrq 10 djksM+ dk izko/kku gSA**

3.6 कृषकों के लिए ''फसल बीमा गारंटी'' योजना लागू करना हमारी घोषणा थी। इसी अनुरूप वर्तमान में लागू कृषि बीमा योजना के स्थान पर मॉडिफाईड राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। इस हेतु बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

3.7 वनभूमि मान्यता अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लाभान्वित 3 लाख 40 हजार पट्टेधारियों को पूर्व वर्षों की भांति निःशुल्क प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

3.8 वर्ष 2013–14 में कृषि में ''जैविक खेती'' को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई ''जैविक खेती मिशन'' योजना आगामी वर्ष में भी निरन्तर रहेगी। इस हेतु 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

i'kq/ku fodkl rFkk eNyh ikyu

4. ग्रामीण स्तर पर पशु स्वास्थ्य तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी वर्ष **10 uohu i'kq vkS"k/kky; dh LFkkiuk ,oa 10 i'kq vkS"k/kky;ksa dk fpfdRlky; esa mé;u fd;k tk,xkA**

4.1 गत वर्ष परंपरागत गौ–पालन हेतु कृषकों को 1 लाख तक कृषि ऋण 1 प्रतिशत के न्यूनतम ब्याज दर पर उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ की

गई थी। **;kstuk dk foLrkj djrs gq, o"kZ 2014&15 ls _.k lhek 1 yk[k ls c<+kdj 2 yk[k #i;s dh tk,xhA**

4.2 ''गौ–शालाओं को अनुदान'' योजना का विस्तार करते हुए वर्ष 2014–15 में अतिरिक्त 90 गौ–शालाओं को अनुदान दिया जाएगा।

4.3 **uDly izHkkfor vuqlwfpr tutkfr cgqy; ftyk narsokM+k esa uohu dqDdqV ikyu i{kh= LFkkfir fd;k tk,xkA** इससे स्थानीय निवासियों को आजीविका के साधन उपलब्ध होंगे।

4.4 कामधेनु विश्वविद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

4.5 **e>ksys lnu dks ;g lwfpr djus esa g"kZ gS fd jkT; LFkkiuk ds le; eRL; cht mRiknu dh {kerk 25 djksM+ Fkh] tks orZeku esa c<+dj 120 djksM+ gks x;h gSA** मछली पालकों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें आर्थिक सहायता तथा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मछुआ सहकारी समितियों को मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराने हेतु योजनाएँ लागू की जाएंगी।

<u>**flapkbZ**</u>

5. सिंचाई क्षमता वृद्धि हेतु इस बजट में 2,443 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें आयोजना मद के 2,167 करोड़ शामिल है। **vk;kstuk en esa viw.kZ dk;ksZa dks iw.kZ djus gsrq 1]897 djksM+ rFkk uohu dk;ksZa gsrq 200 djksM+ dk izko/kku gSA**

5.1 राज्य की रूपांकित सिंचाई क्षमता लगभग 43 लाख हेक्टेयर आंकलित है। **foxr 10 o"kksZa esa flapkbZ {kerk esa 4-75 yk[k gsDVs;j dh of) ds lkFk**

jkT; dh flpkbZ {kerk c<dj 19 yk[k gDV;j gk xbZ g] tk fd dy ck; x, {k= dk 34 ifr'kr gA

5.2 रूपांकित सिंचाई क्षमता एवं वास्तविक सिंचाई क्षमता के अंतर को कम करने के उद्देश्य से लघु सिंचाई योजनाओं के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। **,lh 29 ;ktukvk d iuuohuhdj.k ,o iujk)kj d fy, iko/kku fd;k x;k gA**

5.3 घोषणा–पत्र में हमने सिंचाई एवं सुनिश्चित सिंचाई के रकबे में वृद्धि हेतु विशेष कार्ययोजना बनाने की बात कही थी। इसे क्रियान्वित करने के लिए **ctV e 5 e/;e flpkbZ ;ktukvk ,o 68 y?k flpkbZ ;ktukvk d fuek.k gr 76 djkM dk iko/kku gA blls 48 gtkj gDV;j {k= e vfrfjDr flpkbZ {kerk fufer gkxhA**

5.4 अरपा भैंसाझार वृहद परियोजना हेतु 100 करोड़, महानदी परियोजना समूह के नहर की रिमॉडलिंग एवं लाईनिंग हेतु 110 करोड़, बलौदाबाजार, गरियाबंद जिले की परसदा एवं दुर्ग की सुपकोना वितरक नहरों की रिमॉडलिंग हेतु 5 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है।

5.5 बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए 12 करोड़, औद्योगिक जल संरचनाओं के निर्माण हेतु 81 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

Hkkx&nk

[kk| lj{kk

6. मेरा मानना है कि स्वस्थ नागरिकों के बिना समृद्ध राज्य की परिकल्पना संभव नहीं है। हमारी सरकार ने प्रदेश को भूख, गरीबी, कुपोषण जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के साथ–साथ एक समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में पहचान दिलाने का संकल्प लिया था। **blh l ifjr gkdj geu n'k d igy jkT; d :i e [kk| rFkk ik"k.k lj{kk vf/kfu;e ykx fd;k gA e> ;g**

crkus e ilérk g fd NRrhlx< dk ;g dkuu] dUnh; [kk| lj{kk vf/kfu;e l dbl ek;u e cgrj gA

6.1 हमने विधान सभा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में ''गरीब जनता को 1 रुपए किलो में चावल'' देने का वादा किया था। **rhljh ckj ljdkj cuu d rRdky ckn geu bl fuHkkr g, 1 tuojh] 2014 l bl ykx fd;k gA bll in'k d 85 ifr'kr ifjokj 1 #i, ifr fdyk pkoy ;ktuk l ykHkkfUor gk jg gA**

6.2 खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु **bl ctV d vk;ktuk en e #i, 3]884 djkM dk iko/kku g] tk fd xr o"k dh ryuk e 70 ifr'kr vf/kd gA** इसमें मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना हेतु 3,200 करोड़, मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना हेतु 500 करोड़ तथा नमक हेतु 90 करोड़ सम्मिलित है।

6.3 **Hkkjr ljdkj }kjk ifr ifjokj [kk|ké dh ik=rk dk 35 fdyk l ?kVkdj 25 fdyk dju l jkT; ljdkj ij 1]500 djkM dk vfrfjDr foRrh; Hkkj iMk gA** विपक्ष में बैठे साथियों से मेरा आग्रह है कि वे केन्द्र में आसीन उनकी सरकार से केन्द्रीय कानून में पात्रता संबंधी प्रावधान में आवश्यक संशोधन करने के लिए प्रयास करें।

Ldy f'k{kk

7. **Ldy f'k{kk d fy, 6]298 djkM dk iko/kku g] tk fd xr o"k dh ryuk e 21 ifr'kr vf/kd gA** इसमें केन्द्र प्रवर्तित योजना, सर्वशिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 1,332 करोड़ केन्द्रांश शामिल है।

7.1 **Ldwyh f'k{kk esa x.koRrk lqfuf'pr djus ds mn~ns'; ls jkT; ljdkj }kjk fo|kfFk;ksa ds lrr~ eWY;kadu dh 0;oLFkk dh xbZ gSA blds fy, 25 djksM+ dk izko/kku gSA**

7.2 विगत वर्षों में हमने शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में नवीन स्कूल स्थापित करने तथा स्कूलों के उन्नयन करने का कार्य किया है। इसके फलस्वरूप प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में स्कूलों की संख्या मापदंडों के अनुरूप हो गई है। **bl ctV esa 15 gkbZ Ldwyksa dk gk;j lsdsUMjh ,oa 15 iwoZ ek/;fed 'kkykvksa dk gkbZ Ldwy esa mé;u gsrq 9 djksM+ dk izko/kku j[kk x;k gSA**

7.3 अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रयास से राज्य के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं एवं लगभग 95 प्रतिशत हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों के लिए स्वयं का भवन निर्मित हो गया है। हमारा लक्ष्य है कि आगामी 2–3 वर्षों में सभी शासकीय स्कूलों के पास स्वयं का भवन उपलब्ध हो। इस उद्‌देश्य से इस बजट में **100 gk;j lsdsUMjh Ldwyksa ds Hkou fuekZ.k dk izko/kku j[kk x;k gSA** इसके अतिरिक्त 10 कन्या छात्रावास भवन एवं 10 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन हेतु प्रावधान को शमिल करते हुए 12 करोड़ का प्रावधान है।

7.4 **f'k{kk ds vf/kdkj ds vUrxZr 'kkykvksa esa ewyHkwr lqfo/kk,a miyC/k djkus rFkk iz;ksx'kkyk midj.k ,oa QuhZpj ds fy, dqy 175 djksM+ dk izko/kku fd;k x;k gSA**

<u>mPp f'k{kk</u>

8. अध्यक्ष महोदय, विश्व की प्रख्यात अंग्रेज महिला राजनीतिक एक्टीविस्ट एमेलीन पेंकहर्ट, जिन्होंने सन् 1928 में महिलाओं को पहली बार समान मतदान का अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी, ने यह कहा था कि –

"ge ekuo o'k dh vk/kh vkcknh vFkkZr~ efgykvksa dks eDr djuk g] rkfd o nlj vk/kh vkcknh dks eDr dju e lgk;rk dj ldA"

8.1 वर्तमान में 50 प्रतिशत छात्राओं द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश लिया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। इसे ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा में छात्राओं की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमारे **?kks"k.kk i= d vuq:i vkxkeh f'k{kk l= l 'kkldh; egkfo|ky; e v/;;ujr Nk=kvksa dks Lukrd Lrj rd fu'kqYd f'k{kk miyC/k djk;h tk,xhA**

8.2 **foxr 10 o"kksa e 86 uohu 'kkldh; egkfo|ky; rFkk 7 fo'ofo|ky; ftlea cLrj rFkk ljxqtk fo'ofo|ky; 'kkfey g] ikjEHk fd;s x, gA** वर्तमान में राज्य में 202 शासकीय तथा 258 अशासकीय, कुल 460 महाविद्यालय स्थापित हैं। इस बजट में **"dkalkcy"** (जिला – जशपुर) एवं **"[kqlhikj"** (जिला – दुर्ग) में नवीन महाविद्यालय स्थापित करने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में 32 नवीन स्नातकोत्तर संकाय प्रारम्भ करने हेतु भी प्रावधान रखा गया है।

8.3 इस बजट में 20 शासकीय महाविद्यालयों में महिला छात्रावास स्थापित करने तथा 21 महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 8.3 करोड़ प्रावधान रखा गया है। **e> lnu dks ;g lfpr djr g, ilérk g fd blds lkFk jkT; d lHkh 'kkldh; egkfo|ky;ksa d ikl Lo;a d Hkou miyC/k gks tk,xA**

8.4 राज्य की उच्च शिक्षण संस्थाओं में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से **"jk"Vªh; eY;kadu ,o iR;k;u ifj"kn" & ud** द्वारा राज्य के 70 शासकीय महाविद्यालयों की मान्यता हेतु मूल्यांकन कराने के लिये 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है।

8.5 पिछले कुछ समय से छात्रों की ''बेसिक साइंस'' में रूचि कम हुई है। **bl nf"Vxr j[kr g, Lukrd Lrj ij *cfld lkbl** d v/;kiu rFkk 'kk/k dh vkj mRd"V ifrHkkvk dk vkd"V dju d fy;s i- jfo'kdj 'kDy fo'ofo|ky; e *cfld lkbl dUn** dh LFkkiuk dh tk,xh।** इसके लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।

8.6 इस वर्ष प्रारंभ किए गए **^*jk"Vh; mPprj f'k{kk vfHk;ku**** के प्रभावी एवं तत्परता से क्रियान्वयन हेतु **^*jkT; mPp f'k{kk ifj"kn**** का गठन किया जायेगा। इस योजना हेतु 40 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

vulfpr tkfr rFkk tutkfr fodkl

9. समावेशी विकास हमारी विकासात्मक रणनीति का मुख्य आधार रहा है। **e>s lnu dk ;g lfpr djr g, ilérk g fd geu vk;ktuk en e vulfpr tkfr ,o tutkfr {k= d fy, tul[;k d vuikr 43 ifr'kr l Hkh vf/kd vFkkr 48 ifr'kr ctV ikO/kku fd;k gA**

9.1 इस बजट में 15 हाईस्कूलों का उच्चतर माध्यमिक में एवं 15 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन हेतु 3 करोड़ एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति छात्रावासों एवं आश्रमों में 3,000 सीट वृद्धि हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है।

9.2 अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 34 कन्या छात्रावास के भवन निर्माण हेतु बजट में 3.5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

9.3 गुणात्मक शिक्षा के लिए प्रारम्भ की गई **"i;kl" ;ktuk dh lQyrk dk n[kr g, ljxtk ,o txnyij lHkkx e[;ky; ij Hkh i;kl**

fo|ky; ikjEHk fd, x, gSA o"kZ 2014&15 esa fcykliqj ,oa nqxZ lHkkx eq[;ky; ij Hkh **iz;kl fo|ky; ikjEHk fd, tk,saxsA**

9.4 वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश में अब तक 3,40,000 वनवासियों को वन अधिकार पत्र दिए जा चुके हैं। वन अधिकार पत्र धारकों को निःशुल्क खाद–बीज किट तथा आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।

9.5 **NRrhlx<+ iqjkus n'kd dk iFke rFkk ,dek= jkT; gS] tgka ou vf/kdkj vf/kfu;e ds rgr lHkh 428 ouxzkeksa dks jktLo xzkeksa esa ifjorZu djus dh dk;Zokgh iw.kZ dh xbZ gSA** इन ग्रामों में रहने वाले लगभग 40,000 वनवासियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र का लाभ दिया गया है। साथ ही राजस्व ग्राम के रूप में उन्हें विकास योजनाओं का भी समान रूप से लाभ मिलेगा।

9.6 हमारी घोषणा अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। बजट में निगम के लिए अतिरिक्त धनवेष्ठन का प्रावधान है।

9.11 घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार **O;kolkf;d ijh{kk e.My }kjk vk;ksftr dh tkus okyh izfr;ksxh ijh{kkvksa dh Qhl esa yxHkx 40 izfr'kr dh deh dh xbZ gSA**

jkstxkj ,oa dkS'ky fodkl

10. हमारी सरकार ने गत वर्ष ''युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013'' लागू किया है। **foxr 2 o"kksZa esa jkT; dkS'ky fodkl izkf/kdj.k }kjk 60]000 ;qokvksa dks fofHké rduhdh dkS'ky esa izf'kf{kr fd;k x;k gSA** इसी क्रम में **jkT; ds ;qokvksa dks rduhdh ,oa xSj rduhdh O;olk;ksa esa izf'kf{kr dj jkstxkj ,oa Lo&jkstxkj ds ek/;e ls Lokoyach cukus gsrq jkT; ds lHkh 27 ftyksa esa vkoklh;**

ykboyhgqM dkyst LFkkfir fd, tk,xsA इसके लिए बजट में 69 करोड़ का प्रावधान है।

10.1 राज्य शासन द्वारा प्रत्येक विकासखंड में कम से कम एक आई.टी.आई. स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 223 आई.टी.आई. स्थापित किए जा चुके हैं। bl ctV esa 10 LFkku Øe'k% nqrokMk] eSuikV] vkMxh] [kMxok] iaMk] ykjeh] ukjh] flexk] Nfj;k rFkk tSitSiqj esa uohu vkbZ-Vh-vkbZ- LFkkfir djus gsrq iko/kku fd;k x;k gSA इसके अतिरिक्त अभनपुर, बागबाहरा, तिल्दा–नेवरा एवं बलौदाबाजार स्थित आई.टी.आई. में नवीन व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु 9 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है।

10.2 प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक पॉलीटेक्निक स्थापित करने का लक्ष्य है एवं वर्तमान में कुल 23 पॉलीटेक्निक संचालित हैं। o"kZ 2014&15 esa fcykliqj ,oa cLrj esa ,d&,d vfrfjDr ikWyhVsfDud rFkk HkkVikjk esa uohu ikWyhVsfDud dh LFkkiuk dh tk,xhA

10.3 jkT; ds 'kkldh; bathfu;fjax egkfo|ky;ksa ,oa ikWyhVsfDud esa rduhdh f'k{kk dh xq.koRrk lqfuf'pr djus ds mn~ns'; ls ,-vkbZ-lh-Vh-bZ- ds ekinaM vuq:i 208 u;s in fufeZr fd, tk,xsA

10.4 आगामी वर्ष से स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में 4 नवीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाएंगे। इसके लिए नवीन पद सृजन एवं मशीन उपकरण बाबत् 2 करोड़ 70 लाख का अनुदान दिया जाएगा।

10.5 ?kks"k.kk i= esa geus mPp f'k{kk gsrq lHkh oxksZa ds Nk=ksa dks 1 ifr'kr ij _.k miyC/k djkus dk oknk fd;k FkkA blh ds vuqikyu esa vkxkeh f'k{kk l= ls f'k{kk _.k ij C;kt nj 4 ifr'kr ls ?kVkdj 1 ifr'kr fd;k tk,xk rFkk uDly iHkkfor ftyksa ds Nk=ksa dks C;kteqDr f'k{kk _.k miyC/k djk;k tk,xkA

<u>LokLF;</u>

11. **jkT; e LokLF; lfo/kkvk d foLrkj ,o ln<hdj.k gr ctV e 2]701 djkM dk iko/kku g] tk fd xr o"k dh ryuk e 58 ifr'kr vf/kd gA** इसमें केन्द्र प्रवर्तित योजना ''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन'' का केन्द्रांश बाबत् राशि 800 करोड़ शामिल है।

11.1 अध्यक्ष महोदय, **e> lnu dk ;g lfpr djr g, vR;r g"k g fd Hkkjr ljdkj }kjk gky gh e idf'kr **okf"kd LokLF; lo{k.k** rFkk **lEiy jftLV'ku lo** d vulkj f'k'k eR;q nj rFkk ekr eR;q nj e l/kkj e NRrhlx< n'k d vx.kh jkT;k e jgk gA** विगत कुछ वर्षों से अनुसूचित जनजाति बाहुल्य नक्सल प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य सुविधा के सुदृढ़ीकरण हेतु अनेक नई योजनाएं प्रारम्भ गई हैं, जिनमें ''ग्रामीण चिकित्सा सहायक'' की पदस्थापना, मोबाईल मेडिकल यूनिट, 108 सेवा, चिकित्सकों के लिए अतिरिक्त मानदेय आदि प्रमुख है। इससे उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। **cLrj ,o nrokMk e f'k'k eR;q nj rFkk ekr eR;q nj e l/kkj in'k d vU; ftyk dh rqyuk e cgrj jgk gA**

11.2 हमारे प्रयासों से राज्य में उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालयों की संख्या राष्ट्रीय मापदंडो के अनुरूप हो गई है। लेकिन प्रदेश की जनसंख्या के कम घनत्व को देखते हुए **ctV e 25 u; mi&LokLF; dUn rFkk 10 ikFkfed LokLF; dUn dh LFkkiuk gr iko/kku j[kk x;k gA bue l 24 mi&LokLF; dUn ,o 8 ikFkfed LokLF; dUn vulfpr {k=k e [kky tk,xA** इसके अतिरिक्त भाटापारा के 30 बिस्तर अस्पताल का 50 बिस्तर में उन्नयन किया जाएगा।

11.3 प्रदेश में मलेरिया के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए मलेरियाग्रस्त जिलों में 20 लाख मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरित की गई है। **eyfj;k iHkkfor 'k"k lHkh fodkl[kMk e efMdVM ePNjnkuh forj.k gr 10 djkM dk iko/kku gA**

11.4 मितानिनों को मिलने वाली ''कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि'' के भुगतान को सरलीकृत तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम में पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गत वर्ष प्रायोगिक तौर पर राशि का भुगतान पंचायतों के माध्यम से कराया गया था। इससे मितानिनों को वितरित राशि में चार गुना वृद्धि हुई है। **bl lQy ifj.kke ds enns utj lHkh fodkl[kaMks esa iapk;rksa ds ek/;e ls fd;k tk,xkA** **lQy ifj.kke ds enn~nsutj lHkh fodkl[k.Mksa esa ikRlkgu jkf'k dk Hkqxrku iapk;rksa ds ek/;e ls fd;k tk,xkA**

11.5 राज्य के सभी 27 जिला चिकित्सालयों में फिजियोथेरेपिस्ट के पद सृजित किए जाएंगे।

11.6 **jk;iqj esfMdy dkyst dks **ih-th- bULVhV~;wV** cukus laca/kh ?kks"k.kk dh iwfrZ ds fy, Mh-ds-,l- vLirky dks ih-th- bULVhV~;wV ds :i esa mé;u fd;k tk,xkA** इसमें न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी तथा बाल शल्य विभाग स्थापित करने हेतु बजट में 10 करोड़ का प्रावधान है।

11.7 मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा जगदलपुर एवं बिलासपुर में स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 50–50 सीटों की वृद्धि हेतु सहमति दी गई है। इस वर्ष से रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में अध्यापन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। **vkxkeh o"kZ ls ljxqtk ,oa jktukanxkao esfMdy dkyst esa Hkh d{kk,a ikjEHk dh tk,saxhA**

efgyk ,oa cky fodkl

12. हमने बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण तथा नारी सशक्तीकरण की दिशा में अनेक योजनाएं लागू की है, जिसके फलस्वरूप विगत 7 वर्षों में बच्चों में कुपोषण

की स्थिति में 11 प्रतिशत की कमी हुई है। **blh Øe e| efgyk ,o| cky fodkl gr| xr o"k| dh r|yuk e| yxHkx 20 ifr'kr vf/kd 1]600 djkM+ dk ctV iko/kku fd;k x;k gA**

12.1 **ckfydkvk| dk lekt e| cjkcjh dk ntk| inku dju| d| fy, gekj| ?kk"k.kk i= e| fd, x, okn| d| vu|:i o"k| 2014&15 l| jkT; e| **ukuh l|j{kk** ;ktuk ikjEHk dh tk,xhA** योजनांतर्गत बी.पी.एल. परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के नाम पर प्रति वर्ष 5,000 रुपए के मान से कुल 25,000 की राशि जमा की जाएगी। बालिकाओं के वयस्क होने पर उन्हें 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। इस हेतु बजट में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

12.2 तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने हेतु हमारे द्वारा लगातार भारत सरकार के समक्ष अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त करने की मांग की जाती रही है। **e|>| i|lérk g| fd Hkkjr ljdkj }kjk gekjh bl ekx dk ekU; dj fy;k x;k g| ,o| yxHkx 25]000 ik"k.k ijke'kd ,o| 6]000 fy|d od|j d| in Lohd|r fd, x, gA bu ink| dh Hkrh| e| ;kX;rk j[ku| okyh ferkfuuk| dk ikFkfedrk nh tk,xhA**

12.3 किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने एवं उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में ''सबला'' योजना क्रियान्वित की जा रही है। लेकिन शेष जिलों में भी इस योजना को संचालित करने की आवश्यकता है। **bl| /;ku e| j[kr| g|, o"k| 2014&15 l| in|'k d| 'k"k 17 ftyk| e| jkT; d| Lo;| d| l|lk/ku l| **lcyk** dk;Øe l|pkfyr fd;k tk,xkA bl gr| 30 djkM+ dk vfrfjDr iko/kku fd;k x;k gA**

12.4 कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम,

2013 लागू किया गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में 5 सदस्यीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा।

12.5 **in'k e efgyk l'kDrhdj.k d mnn'; l gekjh ?kk"k.kk vuqlkj iqjd ik"k.k vkgkj dk;Øe] e/;kUg Hkktu dk;Øe] x.kos'k forj.k dk dk;Z iqjh rjg l efgyk Lo&lgk;rk leg d ek/;e l lpkfyr fd;k tk,xkA** इससे प्रदेश की लगभग 50 हजार महिला स्व–सहायता समूहों की इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित होगी।

12.6 **efgykvk dh lekt e lEekutud Hkfedk lqfuf'pr dju d mnn'; l jkT; d 90 ifr'kr jk'ku dkM] ifjokj dh efgyk eq[k;k d uke l tkjh fd, x, gA**

lekt dY;k.k

13. हमारे घोषणा पत्र के अनुरूप सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत विधवा एवं परित्यकता महिलाओं के लिए संचालित **"lq[kn lgkjk i'ku"** योजना एवं निराश्रित, वृद्ध, निःशक्तजन के लिए संचालित **"lkekftd lqj{kk i'ku"** में 50 प्रतिशत वृद्धि की गई है। उन्हें मिलने वाली पेंशन 200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। इसके लिए बजट में 90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। इससे राज्य के 8 लाख पेंशनधारी लाभान्वित होंगे।

13.1 निःशक्तजनों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने तथा उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए समुचित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से **^^fu%'kDrtu lcy ;ktuk^^ lpkfyr dh tk,xhA**

13.2 प्रदेश के बौने बंधुओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी।

i;ty ,o LoPNrk

14. **i;ty ,o LoPNrk d fy, ctV e 814 djkM dk iko/kku g।**

14.1 घोषणा पत्र में गांवों में शत प्रतिशत शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का उल्लेख है। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। **blh Øe e 14 uohu xkeh.k& leg uy&ty ;ktuk, ikjEHk dh tk,xhA bue 9 vulfpr tutkfr ckgY; {k=k d fy, gA**

14.2 समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल सुविधा मुहैया कराने हेतु नलकूप खनन तथा नल–जल योजना के लिए 81 करोड़ का प्रावधान है।

14.3 शासकीय शालाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आंगनबाड़ियों में प्राथमिकता के आधार पर पेयजल एवं शौचालय सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु 17 करोड़ प्रावधान है।

<u>ou</u>

15. वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु 1,165 करोड़ का प्रावधान है। इसमें बिगड़े वनों के सुधार हेतु 111 करोड़, बांस वनो के पुनरोद्धार हेतु 42 करोड़ तथा भू एवं जल संरक्षण कार्यों हेतु 19 करोड़ 50 लाख का प्रावधान शामिल है।

15.1 **ou foHkkx d vrxr vf/kdk'k dk;l etnjh vk/kkfjr gA etnjh Hkxrku e ikjnf'krk lfuf'pr dju d mn~n'; l tgk ij cd dh 'kk[kk; miyC/k g] ogk etnjh dh jkf'k mud cd [kkrk e tek dh tk,xhA**

15.2 **o{kkjki.k d ekuhVfjx gr vk/kfud rduhd vFkkr th-vkb-,l- i)fr dk mi;kx fd;k tk,xkA**

15.3 राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका वितरण हेतु 19 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रचलित जनश्री बीमा योजनांतर्गत बीमा राशि में वृद्धि बाबत् 5 करोड़ का प्रावधान है।

xkeh.k fodkl ,o i pk;rh jkt

16. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए बजट में 7,583 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें महात्मा गांधी नरेगा, पी.एम.जी.एस.वाय., इंदिरा आवास योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का केन्द्रांश 3,523 करोड़ शामिल है।

16.1 घोषणा पत्र में हमने खेतिहर मजदूरों का शत प्रतिशत बीमा सुनिश्चित करने का उल्लेख किया था। इसे पूरा करते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी बाजपेयीजी के जन्म दिवस 25 दिसम्बर, 2013 से ****vVy [ksfrgj etnwj chek ;kstuk**** लागू की गई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 17 लाख खेतिहर मजदूरों को बीमा सुरक्षा प्राप्त होगी।

16.2 घोषणा पत्र में **lHkh xkeksa dks iDdh lM+d ls tksMus dk mYys[k gSA** इसे पूर्ण करने हेतु बजट में ''मुख्यमंत्री ग्राम सड़क'' योजना के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

16.3 गांव की गलियों का कांक्रीटीकरण और नाली निर्माण की घोषणा की पूर्ति ''मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ'' योजना के रूप में की जा रही है। **;kstuk ds lQy ifj.kke dks ns[krs gq, ctV esa 350 djksM+ dk izko/kku gSA**

16.4 गांव में सार्वजनिक सामुदायिक भवन के निर्माण बाबत् घोषणा के क्रियान्वयन हेतु ''**vVy lejlrk Hkou**** योजना प्रारम्भ की जाएगी।

16.5 गांवों का ''आंतरिक विद्युतीकरण'' बाबत् घोषणा की पूर्ति हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अभिसरण में किया जाएगा।

16.6 राज्य के गांवों में अधोसरंचना विकास हेतु ****eq[;ea=h lexz xkeh.k fodkl**** योजना प्रारम्भ की जाएगी। इसके लिए **300 djksM+ dk izko/kku gSA**

16.7 गत वर्ष हमने महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों को 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने एवं गर्भवती महिलाओं को एक माह की मजदूरी के बराबर मातृत्व भत्ता देने की व्यवस्था राज्य के संसाधनों से की थी। इन प्रयासों से वर्ष 2013–14 में 100 दिवस रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों की संख्या में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा लगभग 10,000 महिलाओं द्वारा मातृत्व अवकाश भत्ते का लाभ लिया गया है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी है कि इसी के अनुकरण में भारत सरकार द्वारा हाल ही में योजना में संशोधन करते हुए वनांचल में निवासरत् संपत्तिविहीन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यह प्रावधान लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन में अभिसरण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत किया गया है।

ykd fuek.k

17. लोक निर्माण के लिए बजट में 3,631 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें अपूर्ण सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु 1,400 करोड़ तथा सड़कों संधारण हेतु 500 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

17.1 प्रदेश के 7 राज्य मार्गों, 40 मुख्य जिला मार्गों तथा 116 अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों के उन्नयन हेतु 168 करोड़ का प्रावधान है।

17.2 एशियन विकास बैंक की सहायता से द्वितीय चरण में 917 किलोमीटर लंबाई के मार्गों के उन्नयन के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है।

17.3 इस वर्ष 3 नये रेलवे ओव्हरब्रिज एवं 92 नवीन पुलों के निर्माण हेतु 82 करोड़ का प्रावधान है।

17.4 प्रचलित व्यवस्था में राज्य के सभी निर्माण विभागों तथा संस्थाओं द्वारा ठेकेदारों के पृथक–पृथक पंजीयन का प्रावधान है। इस व्यवस्था को सरलीकृत,

पारदर्शी तथा अधिक व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से '',**dhdr ith;u****'' व्यवस्था (इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन) लागू की गई है। इस व्यवस्था में ठेकेदारों को ऑनलाईन पंजीयन कराने पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त होगा, जो कि सभी विभागों में निविदाओं के लिए लागू होगा।

uxjh; i'kklu

18. नगरीय विकास के लिए बजट में 2,191 करोड़ का प्रावधान है।

18.1 **jkT; foRr vk;kx dh vu'kalk vuqlkj uxjh; fudk;ks dks jkT; ds 'kq) dj jktLo dk 1-85 izfr'kr vuqnku ds :i esa fn;k tkuk gSA** इसके पालन में अधोसंरचना विकास के पूंजीगत कार्य हेतु 200 करोड़ एवं मूलभूत सेवाओं हेतु 67 करोड़ सहित कुल 267 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

vkokl ,oa i;kZoj.k

19. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने ''नया रायपुर'' की जो परिकल्पना की थी, उसने आकार लेना प्रारंभ कर दिया है। इस योजना को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। नया रायपुर में प्रथम चरण में 75 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा द्वितीय चरण मे 60 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रगतिरत है। शहरी अधोसरंचना के अंतर्गत भूमिगत विद्युतीकरण, भूमिगत मल निकासी व्यवस्था एवं जल आपूर्ति के कार्य पूर्ण होने की ओर अग्रसर है।

19.1 **u;k jk;iqj dks jsy ekxZ ls tksM+us ds Øe esa 4 uohu jsyos LVs'kuksa dk fuekZ.k] u;k jk;iqj dks fo'oLrjh; 'kgj cukus ds fy, lHkh lqfo/kk;sa ij vR;k/kqfud fu;a=.k iz.kkyh fodflr djrs gq, LekVZ flVh dk fodkl rFkk dsfiVy dkEiysDl ds lkeus lsUVªy cqysokMZ gsrq bl ctV esa 23 djksM+ dk izko/kku gSA**

m|kx

20. औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बजट में उद्योगों को ब्याज एवं लागत पूंजी अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 65 करोड़ तथा अंशपूंजी सहायता योजना के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है।

20.1 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना उन्नयन के लिए 26 करोड़ तथा भू–अर्जन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।

20.2 **"e|[;e=h ;|ok Lojk txkj ;kstuk" vrxr 'kklu }kjk ekftu euh vunku ,o C;kt vunku d vfrfjDr cdk dk fn, tku okys xkjVh 'kYd dh çfr ifr gr 5 djkM dk çko/kku gA**

xkek|kx

21. माटी कला के संरक्षण एवं विकास हेतु माटीकला बोर्ड की स्थापना की गयी है। बोर्ड को दिए जाने वाले अनुदान को 1 करोड़ 40 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ किया जाएगा।

Jfed dY;k.k

22. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट में 40 करोड़ का प्रावधान है। हमारी घोषणा के अनुरूप असंगठित कर्मकारों को भी निर्माण मजदूरों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

22.1 **vlxfBr deldkjk d dY;k.k gr "lQkbl deldkj eMy" ,o "Bdk etnj] ?kjy dkexkj ,o gEeky deldkj dY;k.k eMy" dk xBu fd;k tk,xkA**

22.2 कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के अंतर्गत सिलतरा, दीपका, सारंगढ़ एवं सेजबहार में राज्य बीमा औषधालय प्रारंभ किए जाएंगे।

lLdfr] i;Vu ,o /keLo

23. छत्तीसगढ़ी कला तथा संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से राज्य में लोक कला संगीत अकादमी की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए राज्य में पृथक से अभिलेखागार की स्थापना की जाएगी।

23.1 विगत दो वर्षों से आयोजित ''सिरपुर महोत्सव'' से इस पुरातात्विक स्थल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। **bl /;ku e j[kr g, bl **vrjk"Vh; ck) i;Vu LFky** d :i e fodflr fd;k tk,xkA**

23.2 पर्यटन संबंधी अधोसंरचना विकास की दृष्टि से रतनपुर, डोंगरगढ़ एवं चन्द्रपुर में टूरिस्ट मोटल का निर्माण किया जाएगा।

23.3 राजिम, गिरौदपुरी एवं लालपुर मेले में जनसुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 4 करोड़ का प्रावधान है।

[ky ,o ;ok dY;k.k

24. घोषणा पत्र में राज्य के बड़े शहरों में युवाओं के लिए सर्वसुविधायुक्त ''यूथ हॉस्टल'' निर्माण का उल्लेख है। **iFke pj.k e jk;i j ,o fcykl i j e ;Fk gkLVy d fuek.k d fy, 1 djkM dk iko/kku gA**

24.1 गत वर्ष सदन में मेरी घोषणा के अनुसार **"e[;e=h ;ok Hkkjr n'ku ;ktuk"** प्रारम्भ की गई है। इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है।

24.2 युवक कल्याण गतिविधियों के लिए युवा समितियों को अनुदान बाबत् 2 करोड़ का प्रावधान है।

24.3 राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर प्रदान करने के उद्‌देश्य से ''**xkeh.k [ksy vH;kl ;kstuk**** प्रारम्भ की जा रही है। **blds fy, 4 djksM+ 40 yk[k dk izko/kku gSA**

24.4 राजनांदगांव में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

ÅtkZ

25. घोषणा पत्र के अनुरूप इस वर्ष से राज्य के मजरे टोलों में विद्युतीकरण की योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अभिसरण में किया जाएगा। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है।

25.1 **o"kZ 2014&15 esa 20 gtkj fo|qr iai ÅthZdj.k ds fy, fo|qr forj.k daiuh dks vuqnku ckcr 148 djksM+ dk izko/kku gSA** इसके अतिरिक्त पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना के अन्तर्गत 300 करोड़ का प्रावधान है।

25.2 गत वर्ष एकल बत्ती विद्युत कनेक्शन योजना में बी.पी.एल. परिवारों की निःशुल्क विद्युत की पात्रता 30 यूनिट से बढ़ाकर 40 यूनिट प्रतिमाह किया गया था। इस हेतु विद्युत वितरण कंपनी को 150 करोड़ अनुदान दिया जाएगा।

lwpuk izkS|ksfxdh ,oa tSo izkS|ksfxdh foHkkx

26. घोषणा के अनुरूप निःशुल्क लेपटॉप एवं टेबलेट वितरण के लिए 80 करोड़ का प्रावधान है।

26.1 छत्तीसगढ़ को वाई–फाई सेवा प्रदान करने के लिए वाई–फाई सिटी की स्थापना हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है। राज्य में सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित करने एवं ''आई.टी. हब'' की स्थापना की जाएगी।

jktLo iz'kklu

27. भू–अभिलेख प्राप्त करने की सुविधा हेतु पटवारी के 4,800 पद स्वीकृत किए गए हैं। उन्हें मुख्यालय हल्के में रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यालय–सह–आवास निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 12 करोड़ का प्रावधान है।

27.1 आम जनता की सुविधा के लिए गत वर्ष 14 नवीन राजस्व अनुविभागों का गठन किया गया था। इन अनुविभागों में कार्यालय भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान है।

27.2 अधोसंरचना विकास उपकर की राशि से ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवनों के निर्माण एवं सड़क संधारण हेतु 12 करोड़ तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 2 करोड़ 40 लाख का प्रावधान है।

ifyl ,o ty i'kklu

28. नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से ''स्पेशल टास्क फोर्स बटालियन'' तथा आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर एक ''आतंकवादी निरोधक दस्ते'' का गठन किया जाएगा।

28.1 प्रदेश में 4 नवीन भारत रक्षित वाहिनी की स्थापना हेतु सहमति दी गई है। इनके लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के निर्माण हेतु 4 करोड़ का प्रावधान है।

28.2 साईबर अपराधों पर रोकथाम के लिए सी.आई.डी. विभाग में ''साईबर क्राईम प्रकोष्ठ'' की स्थापना की जायेगी।

28.3 नक्सल प्रभावित जिला बलरामपुर के ग्राम करौंधा एवं जिला कांकेर के ग्राम गोण्डाहूर में नवीन पुलिस थानों की स्थापना की जाएगी।

28.4 कोंडागांव, बलौदाबाजार, बेमेतरा, बालोद एवं सूरजपूर में जिला अभियोजन कार्यालय की स्थापना की जाएगी।

28.5 राज्य में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की स्मृति में रायपुर में शहीद स्मारक का निर्माण किया जायेगा।

28.6 जेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 37 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है। इसमें केन्द्रीय जेल, दुर्ग में 18 अतिरिक्त बैरक का निर्माण शामिल है।

28.7 जेलों में आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 800 नग शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण कराया जाएगा ।

ifjogu

29. परिवहन मुख्यालय तथा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग एवं राजनांदगांव के परिवहन कार्यालयों व चेक पोस्टों के लिए 101 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा।

29.1 सरायपाली एवं धनवार जांच चौकी में 4–4 नग धर्मकांटा स्थापित किए जाएंगे।

29.2 बालोद, सूरजपुर एवं कोंडागांव में नवीन जिला परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 1 करोड़ 80 लाख का प्रावधान है।

U;k; iz'kklu

30. प्रदेशवासियों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विगत तीन वर्षों में 60 नवीन न्यायालयों की स्थापना की गई है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में लंबित न्यायालयीन प्रकरण, विशेष रूप से नक्सल हिंसा से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु **ukjk;.kiqj esa ftyk U;k;k/kh'k rFkk nUrsokM+k esa vfrfjDr ftyk U;k;k/kh'k U;k;ky; dh LFkkiuk dh tk,xhA**

30.1 बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, सूरजपुर और कोण्डागांव में ''फास्ट ट्रेक कोर्ट'' तथा ''जिला विधिक सेवा प्राधिकरण'' की स्थापना की जाएगी।

30.2 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में समन्वय स्थापित करने हेतु **^*fMftVy dksVZ ifj;kstuk**** प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।

30.3 राज्य में भारतीय विधि संस्थान की स्थापना की जाएगी।

o"k 2013&14 dk iujhf{kr vueku

31. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2013–14 के पुनरीक्षित बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा :–

31.1 राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 37,445 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 37,498 करोड़ है। **0;; dk iujhf{kr vueku 44]169 djkM l c<dj 44]382 djkM lHkkfor g**।

31.2 **jktLo vkf/kD; dk iujhf{kr vueku 2]429 djkM l ?kVdj 782 djkM lHkkfor g**। बजट में सकल वित्तीय घाटा 5,145 करोड़ अनुमानित था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान में घटकर 5,103 करोड़ होगा। **iujhf{kr vueku e ldy foRrh; ?kkVk] ldy ?kjy mRikn dk 2-9 ifr'kr g**, जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत के अंतर्गत है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आर्थिक मंदी के बावजूद सकल वित्तीय घाटे को सीमित रखने में हम सफल रहे हैं।

31.3 अध्यक्ष महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्ष 2013–14 के अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार छत्तीसगढ़ के वित्तीय प्रबंधन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। छत्तीसगढ़ का विकासमूलक कार्यों पर व्यय तथा सामाजिक क्षेत्र में व्यय, जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में, अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। इन्हीं सूचकांक में बिहार द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय तथा झारखंड चतुर्थ स्थान पर है। इसी प्रकार पूंजीगत व्यय में भी गोवा के बाद छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। छत्तीसगढ़ का कुल ऋण भार, ब्याज भुगतान तथा वित्तीय घाटा की स्थिति अन्य सभी राज्यों की तुलना में न्यूनतम है। यह प्रदेश के कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है।

o"k 2014&15 dk ctV vueku

32. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2014–15 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ :–

32.1 विगत कई वर्षों से हमारी यह मांग रही है कि विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं में राज्यों को प्राप्त होने वाली समस्त राशि राज्य के बजट के माध्यम से प्रदाय की जाए। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार द्वारा **jxjktu deVh** की इस आशय की अनुशंसा को मान्य करते हुए आगामी वर्ष से केन्द्रीय योजनाओं की केन्द्रांश राशि राज्य बजट के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसी को प्रदान करने का निर्णय लिया है। **bl vk/kkj ij ctV e ,lh lHkh ;ktukvk d dUnk'k ckcr yxHkx 6]000 djkM o"k 2014&15 d jkT; ctV e lfEefyr fd, x, gA bll ctV d vkdkj e mYy[kuh; of) ifjyf{kr gk jgh gA**

32.2 **o"k 2014&15 gr dy jktLo ikfIr;k 48]654 djkM vuekfur g] ftle dUnh; djk e jkT; d fgLl d 7]699 djkM ,o dUnh; {k=h; ;ktuk dk 1]124 djkM] dy 8]823 djkM 'kkfey gA** राज्य का स्वयं का राजस्व 24,111 करोड़ है, जो गत वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। राज्य के कर राजस्व में 15 प्रतिशत तथा करेत्तर राजस्व में 6 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

32.3 **o"k 2014&15 d fy; vuekfur dy 0;; 54]710 djkM g] ftle vk;ktuk 0;; 35]322 djkM rFkk vk;ktukRrj 0;; 19]388 djkM g।** वर्ष 2013–14 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2014–15 का **dy 0;; 23 ifr'kr vf/kd gA**

32.4 **vk;ktuk 0;;] dy 0;; dk 65 ifr'kr vuekfur g।** आयोजना व्यय में केन्द्रीय योजना की राशि 8,824 करोड़ अर्थात् 25 प्रतिशत एवं राज्य आयोजना 26,498 करोड़ अर्थात् 75 प्रतिशत है। **jkT; dk ifr 0;fDr vk;ktuk 0;; 13]329 #i, vuekfur g] tk fd xr o"k dh ryuk e 40 ifr'kr vf/kd gA**

32.5 o"k 2014&15 e jkT; vk;ktuk 0;; 26]498 djkM vuekfur g] tk fd o"k 2013&14 d iujhf{kr vueku 22]141 djkM dh ryuk e 20 ifr'kr vf/kd g। इसमें केन्द्रीय सहायता 3,463 करोड़ तथा राज्य के स्वयं के संसाधन 23,035 करोड़ सम्मिलित है। इस प्रकार **jkT; vk;ktuk dk 87 ifr'kr Lo;a d lalk/ku l ikf"kr gA xr o"k ;g 86 ifr'kr Fkk।**

32.6 राज्य आयोजना में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिये 36 प्रतिशत, अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिये 12 प्रतिशत तथा सामान्य क्षेत्र के लिये 52 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

32.7 o"k 2014&15 e iathxr 0;; 8]347 djkM vuekfur g] tk fd o"k 2013&14 d iujhf{kr vueku 5]994 djkM dh ryuk e 39 ifr'kr vf/kd g। पूंजीगत व्यय, कुल व्यय का 15 प्रतिशत है।

32.8 o"k 2013&14 d iujhf{kr vueku 20]210 djkM dh ryuk e o"k 2014&15 e vk;ktuRrj jktLo 0;; 19]365 djkM vuekfur g, जो कि 4 प्रतिशत कम है। इसमें वेतन भत्ते हेतु 7,187 करोड़, पेंशन हेतु 2,505 करोड़, ब्याज भुगतान हेतु 1,822 करोड़, विभिन्न योजनाओं हेतु आर्थिक सहायता के रूप में 232 करोड़ तथा विभिन्न संस्थाओं को अनुदान हेतु 3,884 करोड़ शामिल है।

32.9 o"k 2014&15 d ctV e lkekftd {k= d fy; 39 ifr'kr] vkfFkd {k= d fy; 45 ifr'kr ,o lkekU; lok {k= d fy; 16 ifr'kr dk ikko/kku fd;k x;k g।

32.10 वर्ष 2014–15 के बजट में राज्य के वित्तीय संकेतक निरन्तर रूप से सुदृढ़ रहे हैं। जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में राज्य का विकासात्मक व्यय 23 प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय 11 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय 4.33 प्रतिशत

है। इसी प्रकार जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में राज्य का कर राजस्व 9 प्रतिशत, राज्य की ऋण देयता 16 प्रतिशत तथा ब्याज भुगतान 1 प्रतिशत है।

jktdk"kh; fLFkfr

33. अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्वयं के राजस्व में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप इस बजट में पूर्व वर्षों की भांति **2]464 djkM dk jktLo vkf/kD; vu|ekfur fd;k x;k g|A**

33.1 **jkT; dk ldy foRrh; ?kkVk 5]761 djkM vu|ekfur fd;k x;k g|] tk fd ldy ?kjy| mRikn dk 3 ifr'kr g| rFkk ^^jktdk"kh; mRrjnkf;Ro ,o| ctV i|c/k vf/kfu;e** e| fu/kkfjr lhek 3 ifr'kr d| cjkcj g|A** वित्तीय घाटे की पूर्ति ऋण लेकर की जायेगी।

33.2 वर्ष 2014–15 हेतु कुल प्राप्तियाँ 54,661 करोड़ तथा कुल व्यय 54,710 करोड़ अनुमानित किया गया है। इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 49 करोड़ का शुद्ध घाटा अनुमानित है। **o"k 2013&14 d| lHkkfor ?kkVk 1]915 djkM dk 'kkfey djr| g|;| o"k 2014&15 dk dy ctVh; ?kkVk 1]964 djkM vu|ekfur g|A** इस घाटे की पूर्ति वित्तीय अनुशासन तथा अतिरिक्त आय के संसाधन जुटाकर की जावेगी।

Hkkx&rhu

34. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2014–15 के लिये कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा।

LFkkuh; m|kxk d| fy;| jkgr %&

34.1 अध्यक्ष महोदय, निरंतर आर्थिक मंदी के कारण छत्तीसगढ़ के उद्योग, विशेषकर लघु एवं मध्यम स्टील उद्योग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इन्हें मंदी से उबारने तथा पुनर्जीवित करने के लिये मैं करों में निम्नानुसार रियायतें एवं युक्तियुक्तकरण प्रस्तावित करता हूँ :–

- लघु एवं मध्यम स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिये उनके द्वारा निर्मित उत्पाद पर प्रचलित केन्द्रीय विक्रयकर की दर **2 ifr'kr l ?kVkdj 1 ifr'kr** की जायेगी।

- लघु एवं मध्यम स्टील उद्योगों को कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये **ikr d ckgj l vk;kfrr ^^vk;ju vkj iyV^^ rFkk ^^fcyV^^ ij ipfyr io'kdj Øe'k% 0-5 ifr'kr ,o 1 ifr'kr lekIr fd;k tk;xkA**

- आयरन एवं स्टील उद्योगों को **fix vk;ju] LVhy LØi] vk;ju&vkj iyV ,o Qjk ,yk;t dPp eky d :Ik e ?kk"k.kk i= d vk/kkj ij Ø; dju dh lfo/kk nh tk;xhA bl ,l dPp eky ij ipfyr oV dh nj 5 ifr'kr l ?kVdj 2 ifr'kr gk tk,xhA**

- स्थानीय उद्योगों द्वारा निर्मित साईकिल एवं साईकिल पार्ट्स पर वेट की प्रचलित दर **5 ifr'kr l ?kVkdj 2 ifr'kr** की जायेगी।

- भिलाई इस्पात संयत्र द्वारा आयातित **^^dkfdx dky^^** पर देय प्रवेशकर की दर में युक्तियुक्तकरण किया जायेगा। प्रचलित प्रवेश कर की दर **6 ifr'kr** को घटाकर **1 ifr'kr fd;k tk;xkA**

- बाक्साईट पर प्रचलित प्रवेश कर की दर में युक्तियुक्तकरण करते हुये **3 ifr'kr dk ?kVkdj 1 ifr'kr fd;k tk;xkA**

- केप्टिव माईंस द्वारा उत्खनित कच्चा माल पर देय प्रवे ा कर का युक्तियुक्तकरण किया जाकर प्रचलित प्रवे ा कर की दर बाजार मूल्य का **1 i%fr”kr** किया जायेगा। इस हेतु राज्य भाासन द्वारा बाजार मूल्य अधिसूचित किया जायेगा।

- बीमार एवं बंद पड़ी औद्योगिक ईकाइयाँ पुनर्जीवित हो सके, इसके लिये ऐसी ईकाइयों के क्रय करने पर प्रचलित **5 i%fr”kr LVkEi 'kqYd** समाप्त किया जायेगा।

- कंपनियों के समामेलन तथा पुर्नगठन के प्रकरणों में देय स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा **10 djksM+ dks ?kVkdj 5 djksM+** किया जायेगा।

- लकड़ी के विकल्प के रूप में उपयोग होने वाले यू.पी.व्ही.सी. से निर्मित दरवाजें एवं खिड़कियों को प्रोत्साहित करने के उद्दे य से प्रचलित **oSV nj 14 i%fr”kr ls ?kVkdj 5 i%fr'kr dh tk;sxhA**

- उद्योगों तथा रेलवे ट्रैक के निर्माण में उपयोग में आने वाली वेल्डिंग मशीनरी एवं इसके उपकरणों पर लागू वेट दर में युक्तियुक्तकरण करते हुये अन्य मशीनरी एवं उपकरणों पर कर दर **14 i%fr”kr ls ?kVkdj 5 i%fr'kr** की जायेगी।

- औद्योगिक ईकाइयों में इंडस्ट्रीयल इनपुट के रूप में उपयोग होने वाले **¶;wy vk;y ¼iSVªksfy;e dk NksM+dj½] b.MLVªh;y ,y-ih-th-** एवं **jcj fjDYkse** पर देय वेट में युक्तियुक्तकरण किया जायेगा। इन्हें अन्य इण्डस्ट्रीयल इनपुट के समतुल्य माना जाकर इन पर प्रचलित वेट दर **14 i%fr”kr dks ?kVkdj 5 i%fr'kr** की जाएगी।

- अधोसंरचना विकास को बढ़ावा देने के उद्दे य से गतवर्श रोड़ कन्स्ट्रक्शन में उपयोग होने वाले मशीनरी एवं उपकरण पर वेट की दर 14 प्रति ात से घटाकर 5 प्रतिशत की गई थी। इसी क्रम में सिविल कन्स्ट्रक्शन में उपयोग होने वाली म ीनरी एवं उपकरण पर वेट की दर **14 ifr”kr l ?kVkdj 5 ifr”kr** की जायेगी।

- स्थानीय सोयाबीन आधारित उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के उद्दे य से उनके द्वारा कच्चे माल के रूप में क्रय किये जाने वाले सोयाबीन पर प्रचलित वेट **nj 5 ifr”kr dk lekIr fd;k tk;xkA**

- स्थानीय मिनरल वॉटर ईकाइयों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के उद्दे य से उनके द्वारा उत्पादित मिनरल वॉटर **ikÅp ,o 20 yhVj tjhdu** पर **oV dh nj 5 ifr'kr** तथा **'k"k feujy okVj ij oV nj 14 ifr'kr dh tk;xhA**

<u>**dVhj m|kxk dk jkgr**</u> :–

34.2 अध्यक्ष महोदय, स्थानीय कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किए जाने एवं उन्हें राहत प्रदान किए जाने हेतु मैं निम्नानुसार रियायतें प्रस्तावित करता हूँ :–

- राज्य में विभिन्न स्व–सहायता समूहों द्वारा संचालित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **bud }kjk fufer mRiknk dk oV l eDr fd;k tk;xkA**
- स्थानीय अगरबत्ती एवं धूप निर्माण करने वाली इकाईयों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के उद्दे य से प्रदेश के बाहर से **vk;kfrr vxjcRrh ,o /ki ij oV nj 5 ifr'kr** की जायेगी।

- ट्रैक्टर–ट्रॉली पर, प्रचलित वेट की दर **5 ifr'kr lekIr fd;k tkdj bl djeDr fd;k tk;xkA**

<u>NkV 0;olkb;k dk jkgr</u> :–

34.3 **v/;{k egkn;] 0;olkb;k e Lo&lR;kiu ,o LofPNd vuikyu dh iofRr dk c<kok nu d mnn'; l uohu ith;u tkjh dju l iol foHkkxh; vf/kdkfj;k }kjk 0;olk; LFky fujh{k.k dh vfuok;rk dk 1 tuojh] 2014 l lekIr fd;k x;k gA blh Øe e in'k d NkV 0;olkb;k dk jkgr igpku rFkk dj i”kklu dk d”ky cuku d mnn”; l e ipfyr dj ifØ;k e fuEukuqlkj ljyhdj.k iLrkfor djrk g %&**

- वर्तमान व्यवस्था में अनेक व्यवसायी ऐसे हैं, जिन पर किसी अधिनियम के अंतर्गत कोई कर दायित्व नहीं आता है। इसे ध्यान में रखते हुये विशुद्ध रूप से करमुक्त माल में व्यवसाय करने वाले व्यवसाइयों को वेट अधिनियम के तहत पंजीयन प्रक्रिया एवं विभागीय परिधि से मुक्त किया जाएगा।

- प्रदे I के भीतर क्रय–विक्रय करने वाले छोटे व्यवसायी, जिनकी सकल वार्शिक विक्रय सीमा 10 लाख तक है, को वेट पंजीयन से मुक्त रखा गया है। **okf"kd foØ; dh ;g lhek o’k 2006 e fu/kkfjr dh xbl Fkh] vc blI c<k;k tkdj #i, 20 yk[k fd;k tk;xkA**

  उपर्युक्त दोनों सरलीकरण से लगभग **20 gtkj NkV 0;olk;h foHkkxh; ifjf/k l eDr gkxA**

- नए पंजीकृत व्यवसाईयों के लिये निर्धारित प्रक्रिया में सरलीकरण करते हुए पंजीयन की एक वर्श की अवधि तक **=ekfld d LFkku ij N%ekgh fooj.k nu dk ikco/kku fd;k tk,xkA**

- व्यवसाइयों को स्व–कर निर्धारण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्दे य से विवरण पत्र की प्रक्रिया में सरलीकरण करते हुये त्रैमासिक विवरण के साथ प्रस्तुत की जाने वाली क्रय–विक्रय सूची की सीमा में वृद्धि की जाकर **3 yk[k** त्रैमासिक किया जाना प्रस्तावित है।

- छोटे व्यवसाइयों के लिये उपलब्ध कम्पोजिशन सुविधा को और अधिक सरल एवं आकर्शक बनाया जायेगा। इस हेतु व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुये आवेदन को सूचना के रूप में मान्य किया जायेगा। इसके साथ–साथ कम्पोजि ान के लिये निर्धारित विक्रय सीमा रुपए **60 yk[k l vf/kd gku ij lhek l vf/kd ,o #i, 1 djkM d foØ; rd i.k nj l dj n; gkxkA**

djk e ;fDr;Drj.k d iLrko :–

34.4 अध्यक्ष महोदय, कर की दरों में विसंगतियों को दूर करने हेतु मैं निम्नानुसार युक्तियुक्तकरण प्रस्तावित करता हूँ :–

- मापतौल उपकरणों पर **oV dh ipfyr nj 14 ifr"kr l ?kVkdj 5 ifr'kr dh tk;xhA**

- ड्रग एवं मेडीसिन के एम.आर.पी. विक्रय पर वेट देय है। अतः युक्तियुक्तकरण करते हुए **efMdy bfDoieV@fMokbl ,o bEIykVl** के **,e-vkj-ih- foØ; ij Hkh oV n; gkuk iLrkfor gA**

- प्रदे ा में संचार व्यवस्था एवं दुर्गम इलाकों में संचार सुविधा के विस्तार को बढ़ावा देने के उद्दे य से टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों द्वारा देय प्रवे ा कर **4 ifr'kr l ?kVkdj 1 ifr'kr fd;k tk;xkA**

enkd ,o ith;u 'kYd :–

35. अध्यक्ष महोदय, 1 दिसम्बर, 2013 से प्रदेश में ई–स्टैम्पिंग की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है। इसी क्रम में आगामी वित्तीय वर्ष में दस्तावेजों के पंजीयन को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। किसान एवं आम जनता की सुविधा के लिए मैं पंजीयन एवं स्टॉम्प शुल्क की दर में निम्नानुसार युक्तियुक्तकरण प्रस्तावित करता हूँ :–

- राज्य में स्थित **Hkfe rFkk Hkou dh vnykcnyh ¼,Dlpt½** पर स्टाम्प शुल्क की दर संपत्ति के बड़े भाग के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत है। इसमें परिवर्तन कर समान मूल्य होने की स्थिति में **LVkEi dh nj l NV ikIr gkxh** एवं अंतर की अधिक राशि पर ही स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत की दर से देय होगा।

- वर्तमान में **ckM l** पर देय स्टाम्प शुल्क की दर प्रतिभूति रकम की 4 प्रतिशत है, इसे 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रावधान के फलस्वरूप अचल संपत्ति के कब्जारहित **flEiy ekVxt** दस्तावेजों पर भी स्टाम्प शुल्क **2 ifr'kr gk tk,xkA**

- अचल संपत्ति के **nku** पर स्टाम्प शुल्क की दर 5 प्रतिशत है। आम जनता को राहत देने की दृष्टि से अब परिवार के सदस्यों के मध्य होने वाले अचल संपत्ति के दान पर बाजार मूल्य का **vk/kk ifr'kr** स्टाम्प शुल्क देय होगा।

- **cVokjkukek** में विभाजित की गई अचल संपत्ति के बड़े हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों के बाजार मूल्य पर देय 4 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में **fj;k;r djr g, iR;d fgLl d fy, ,d fuf'pr 'kYd dk iko/kku** किया जाएगा।

- **gdR;kx** के दस्तावेजों में संपत्ति के बाजार मूल्य का 4 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है। परिवार के सदस्यों के मध्य अचल संपत्ति का हकत्याग होने पर छोड़े गये हिस्से की संपत्ति के बाजार मूल्य पर मात्र **0-5 ifr'kr** स्टाम्प शुल्क देय होगा, परन्तु परिवार का सदस्य न होने की स्थिति मे छोड़े गये हिस्से का **2 ifr'kr** शुल्क लिया जाएगा।

- अचल संपत्ति से संबंधित पावर ऑफ अटार्नी के मामलों में 100 रुपये स्टाम्प शुल्क देय है तथा इसके क्रियान्वयन की कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। इसे नियंत्रित करने के लिए **2 o"k dh le;&lhek** तथा स्टाम्प शुल्क **1000 #i;s** किया जाना प्रस्तावित है, परन्तु परिवार के सदस्यों के पक्ष में लिखे गये पावर ऑफ अटार्नी में समय–सीमा का बंधन नहीं होगा।

- **lek'kk/ku lwph** में स्टाम्प शुल्क का प्रावधान नहीं है। राजस्व को संरक्षित करने के लिए **10]000 #i;s ;k mlds Hkkx ds fy, 1 #i;s** की दर से अधिकतम 1,000 रुपये तक स्टाम्प शुल्क प्रस्तावित है।

35.1 वेट, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर अधिनियम एवं स्टॉम्प शुल्क में प्रस्तावित उक्त रियायतों के फलस्वरूप राज्य शासन को लगभग 50 करोड़ की राजस्व हानि अनुमानित है, जिसकी पूर्ति बेहतर कर प्रशासन, कर प्रबंधन एवं प्रवेश कर अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व से कर ली जाएगी।

36. अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि जिन मूल मंत्रों के सहारे हमने इस बजट की परिकल्पना की है, उनपर अमल करने के लिए हम शासनतंत्र को पारदर्शी तथा जनता के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील बनाते हुए छत्तीसगढ़ को इक्कसवीं सदी का राज्य बनाने में सफल होंगे। वित्तीय प्रबंधन को हमने किताबों से नहीं आम आदमी के जीवन से सीखा है। इसी विश्वास के बल पर मैं कवि

''रामेश्वर वैष्णव'' की इन पंक्तियों के साथ वर्ष 2014–15 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ :–

''ऐसी कोई रात नहीं है,
जिसके बाद प्रभात नहीं है,
मन में दृढ़ विश्वास चाहिए,
असफलता की बात नहीं है,
हर अवसर एक चुनौती है,
मुफ्त मिली सौगात नहीं है,
जो होगा अच्छा ही होगा,
यह खाली जज्बात नहीं है।''